ऋण सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं एवं नियम

1 ऋण आवेदन पत्र लेते समय कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें एवं समझ लें कि आवेदन पत्र के साथ किन-किन दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है ताकि आपका ऋण बिना विलम्ब के स्वीकृत किया जा सके।

2 ऋण लेते समय जमानतियों को हस्ताक्षर करने के लिए सोसाइटी में आना आवश्यक है।

3 सोसाइटी द्वारा 1 ता. से 31 ता. तक दिए गये ऋण पर पूरे माह का ब्याज लिया जायेगा।

4 ऋण तथा आवृति जमा की मासिक किस्त 1 ता. से 7 ता. तक चैक द्वारा तथा 12 ता. तक नगद रूप से सोसाइटी के कार्यालय में जमा करायें तथा जुर्माने से बचें। 15 ता. के बाद किस्त जमा करने पर देय मूल्य एवं ब्याज दोनो पर 1.5% प्रतिमाह की दर से जुर्माना ब्याज लगेगा।

5 हर माह लोन की किस्त न जमा करने पर सदस्य से 100 रू के हिसाब से Deferment Charge लिया जायेगा।

6 ऋण की लगातार दो किस्तें जमा न करने पर आपको और जमानतियों को नोटिस भेजा जायेगा जिसका देय शुल्क 200 रूपये प्रति नोटिस सदस्य द्वारा देय होगा, उसके पश्चात तीसरी किस्त भी जमा न होने पर अन्तिम नोटिस भेजा जायेगा तथा फिर भी किस्त न आने पर आपके विरूद्ध ऋण वसूली का केस बनाकर आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जायेगा। तथा इसका सारा खर्चा आपको वहन करना होगा।

7 कृपया ध्यान रखें कि ऋण लेने वाले की जमानत देने के पश्चात ऋण की पूर्ण अदायगी के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना की ऋण लेने वाला। ऋण लेने वाले द्वारा ऋण की किस्त जमा न करने पर तथा मुकदमा एवं कानूनी कार्यवाही होने पर सरकार जमानतियों के खिलाफ भी डिग्री कर देती है तथा ऋण की वसूली कर लेती है। अतः जमानत देने के पश्चात यदि नोटिस पहुंचता है तो ऋण लेने वाले सदस्य से तुरन्त ऋण का भुगतान करायें।

8 शेयर मनी का 10 गुना (10 time) ऋण पास किया जाता है।

9 दीवाली वाले माह में ऋण बंद रहेगा।

कृपया निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखें एवं पालन करें।

1 प्रत्येक सदस्य को हर महीने 300 रु अनिवार्य जमा (CD) में जमा कराना अनिवार्य है। आप पूरे वर्ष या इससे कम समय की किस्त एक साथ भी एडवांस में जमा कर सकते हैं।

2 1 से 12 तारीख तक जमा की गई रकम पर पूरे माह का ब्याज दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी किश्तों की रकम 12 तारीख से पहले जमा करा दें।

3 जिन सदस्यों ने ऋण ले रखा है उनसे अनुरोध है कि ऋण की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से करें ताकि आपके द्वारा जमा किये गये धन से अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को ऋण दिया जा सकें।

4 अपनी सदस्यता सं अवश्य याद रखें तथा सोसाइटी में कोई भी रकम जमा करते समय अथवा सोसाइटी के साथ पत्र व्यवहार करते समय उसका उल्लेख अवश्य करें।

5 अपनी पास बुक को सम्भाल कर रखें तथा मोड़े नहीं तथा वर्ष में दो बार कार्यालय में आकर अवश्य पूरी करा लें। उसके गुम होने पर सोसाइटी को सूचित करें। तथा 50 रु. जमा करके नई पास बुक बनवा लें।

6 यदि आप अपना निवास कार्यालय या व्यवसाय बदलते हैं तो नए पते एवं फोन नं. की लिखित सूचना सोसाइटी के कार्यालय में तुरंत दें।

7 यदि 31 मार्च को सोसाइटी की तरफ आपकी किसी भी प्रकार की देनदारी बाकी है तो आप होने वाले किसी उत्सव पर सोसाइटी की तरफ से मिलने वाली सुविधा या उपहार से वंचित रहेंगें।

8 सदस्य बनते समय एवं ऋण लेते समय आय का प्रमाण पत्र एवं अन्य विवरण सही सही भरें। जांच करवायें जाने पर यदि कोई भी विवरण गलत पाया गया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है तथा सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

9 यदि कोई सदस्य आवृति जमा की मासिक किश्तें नियमित रूप से जमा करने में असमर्थ रहता है। तो उसकी सम्पूर्ण जमा राशि स्वैच्छिक जमा में 31 मार्च को हस्तांतरित कर दी जायेगी।

10 सदस्यता समापन शुल्क 200/- रूपये लिया जायेगा।

11 सदस्य के द्वारा दिया गया चैक यदि किसी भी कारण वश बाउंस होता है तो सदस्य से रू. 200/- चैक बाउंसिंग चार्ज लिया जायेगा।

12 K.Y.C. फॉर्म प्रत्येक सदस्य को जमा करवाना अनिवार्य है।